

25 दुधरू पशुओं की ब्याजमुक्त
माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना



पशुपालन विभाग, उ०प्र०

25 दुधारू पशुओं की ब्याजमुक्त माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना

(राज्य योजना)

प्रस्तावना/संक्षिप्त विवरण:-

उत्तर प्रदेश की लगभग 68 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचलों में निवास करती है जिसके जीविकोपार्जन के मुख्य श्रोत कृषि एवं पशुपालन है वर्तमान में कृषि क्षेत्र के कुल योगदान में पशुपालन का योगदान 33 प्रतिशत है जो देश के सकल घरेलू जी0डी0पी0 का लगभग 9 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश पशुधन विकास के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश है। प्रदेश में देश का 10.5 प्रतिशत गोवंश एवं 27 प्रतिशत महिषवंश है यद्यपि प्रदेश वर्ष 2013-14 में 241.938 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है लेकिन प्रदेश में प्रति पशु उत्पादकता कम है। प्रदेश में देशी गायों की उत्पादकता 2.5 किग्रा0 प्रतिदिन प्रति पशु है जब कि पंजाब एवं हरियाणा में दोगुनी है। इसी प्रकार भैंसों की उत्पादकता प्रदेश में 4.4 किग्रा0 प्रतिदिन प्रति पशु है, जबकि पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में उत्पादकता डेढ़ गुनी है इसका मुख्य कारण प्रदेश में उच्चगुणवत्ता युक्त पशुओं का न होना है।

अतः आवश्यकता है कि पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता के विकास हेतु उच्च नस्ल के अधिक से अधिक पशुओं की इकाई स्थापित की जाये। पशुपालन विभाग पशुधन के क्षेत्र में विकास हेतु उन्नत पशुपालन संसाधन तथा उन्नत प्रजनन, रोग नियंत्रण, चारा विकास, रोजगार सृजन आदि कार्यक्रम संचालित करता है लेकिन पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता के पशु प्राप्त करने हेतु प्रदेश के बाहर जाना पड़ता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के 25 दुधारू पशुओ (गाय/भैंस) प्रति यूनिट स्थापित करने हेतु माइक्रो कामधेनु योजना प्रस्तावित की जा रही है।

योजना का मुख्य उद्देश्य:-

- 1- प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंशीय एवं महिषवंशीय नर एवं मादा पशुओं का उत्पादन।
2. पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी।
3. प्रदेश के पशुपालकों को प्रदेश में ही उच्च उत्पादक क्षमता के गोवंशीय एवं महिषवंशीय नर मादा पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. रोजगार के अवसर प्रदान करना।

योजना का स्वरूप:-

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 25 दुधारू पशु (गाय/भैंस) की यूनिटें स्थापित की जायेंगी।
- दुधारू गायों में संकर जर्सी, संकर एच0एफ0 अथवा साहीवाल प्रजाति की गाय होंगी तथा भैंसों में केवल मुर्रा भैंस ही रखी जाएगी।

- यूनिट स्थापित करने हेतु पशुपालक अपनी सुविधानुसार यह स्वयं निर्धारित करेगा कि उसे यूनिट में समस्त गाय रखनी है या समस्त भैसे रखनी है अथवा गाय/भैसे दोनो कितनी संख्या में रखनी है लेकिन यूनिट में जो भी गाय होगी समस्त गायें एक ही प्रजाति की होंगी।
- यूनिट की पूर्ण लागत का 25 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी एवं 75 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी।
- योजना लागत के 75 प्रतिशत पर या लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति 5 वर्षों (60 माह) तक विभाग द्वारा की जायेगी।
- नियमित ऋण अदा न करने पर योजना अंतर्गत प्राविधानित कुल ब्याज की प्रतिपूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज पडता है तो उसे लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।
- लाभार्थी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की नियमित अदायगी पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऋण अदा न होने पर लाभार्थी को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- सिर्फ गायों की इकाई स्थापित करने वाले पशुपालकों को प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त रूप से एक मुश्त अनुदान भी दिया जाएगा। 25 गायों की डेयरी इकाई को स्थापित करने वाले पशुपालक को प्रोत्साहन स्वरूप 1.25 लाख रु0 का अनुदान दिया जाएगा लेकिन यह अतिरिक्त अनुदान उन्ही पशुपालकों को देय होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि (8 माह) के अंदर योजनानुसार निर्धारित समस्त गाय क्रय कर लेगा। अनुदान हेतु दी जाने वाली धनराशि पशुपालक के खाते में डाली जायेगी।
- गाय/भैसों का कृत्रिम गर्भाधान उच्च गुणवत्ता के सांडों से प्राप्त अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यक्रमो को राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओ के साथ भी डबटेल किया जायेगा, ताकि लाभार्थी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
- पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से किया जायेगा।
- क्रय किये गये समस्त पशुओ का बीमा कराया जाना आवश्यक है।
- लाभार्थी को उनके निजी व्यय पर विभाग द्वारा डेयरी प्रबन्धन, पशुपोषण एवं पशु स्वास्थ्य तथा लेखा संबंधी रखरखाव के संबंध में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।
- यदि इकाई स्थापित करने के दौरान लाभार्थी एवं राज्य सरकार के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा जिलाधिकारी का निर्णय ही अन्तिम माना जायेगा।

लाभार्थी का चयन:-

योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थी का चयन किया जायेगा जो पशुपालन में रुचि रखता हो तथा पूर्व से ही पशुपालन का कार्य कर रहा हो। लाभार्थी के पास शेड बनाने की भूमि के अतिरिक्त कम से कम 0.5 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। यूनिट की स्थापना यथा संभव पी0सी0डी0एफ0 के मिल्क रूट पर की जायेगी ताकि दूध की बिक्री सुगमता पूर्वक हो सके।

लाभार्थी का चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा:-

मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	संयोजक सचिव
लीड बैंक ऑफीसर	सदस्य
दुग्ध विकास अधिकारी	सदस्य

25 दुधारू पशुओं गाय/भैंस की एक यूनिट स्थापित करने हेतु लिये गये ऋण पर कुल ब्याज की प्रतिपूर्ति:-

पशुपालक को राष्ट्रीयकृत बैंक/ग्रामीण बैंक/कोआपरेटिव बैंक से ऋण लेकर पशुओं का क्रय करना होगा एवं ऋण ली गयी धनराशि का पाँच वर्षों (60 माह) में नियमित रूप से बैंक को अदा कराना होगा। नियमित ऋण अदा न करने पर योजनान्तर्गत प्राविधानित कुल ब्याज की प्रतिपूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज पड़ता है तो लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।

पशु क्रय हेतु आवश्यक माप दण्ड:-

1. पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से ही किया जायेगा।
2. क्रय किये जाने वाले पशु प्रथम या द्वितीय ब्यात के होने चाहिये तथा दुग्ध उत्पादन गायों में प्रति पशु प्रति दिन 12 लीटर एवं भैंसों में प्रति पशु प्रतिदिन 10 लीटर से कम न हो।
3. क्रय किये जाने वाले पशु ढेड़ माह से पूर्व के ब्यायें हुये न हो।
4. सभी पशु रोग मुक्त एवं स्वस्थ होने चाहिये।

पशुओ का कय निम्न समिति द्वारा किया जायेगा:-

सम्बन्धित जनपदो के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	अध्यक्ष
सम्बन्धित बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
सम्बन्धित लाभार्थी	सदस्य

25 दुधारू पशुओं की एक इकाई की लागत:-

पूजीगत व्यय:-

क्रम सं०	पशु क्रय पर व्यय	25 दुधारू पशुओं की यूनिट हेतु
1-	25 दुधारू पशुओ (साहिवाल/संकर जर्सी/संकर एच०एफ० गायों/मुर्गा भैंसो की कीमत रू० 70000-00 प्रति पशु की दर से	रू० 1750000.00
2-	पशु बीमा 3 वर्ष हेतु (सघन मिनी डेरी के अनुसार)	रू० 84000.00
3-	पशु यातायात पर व्यय (रू० 4000.00 प्रति पशु की दर से)	रू० 100000.00
	योग	1934000.00

क्र०सं०	पशु आवास (कैटिल शेड) पर व्यय	25 दुधारू पशुओं की यूनिट हेतु
1-	वयस्क पशु हेतु 50 वर्ग फुट प्रति पशु रू० 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से (25 पशुओं के लिए)	रू० 250000.00
2-	हीफर शेड/काफ शेड 30 वर्ग फुट प्रति हीफर रू० 200 प्रति वर्ग फुट की दर से (25 हीफर के लिए)	रू० 150000.00
3-	फीड गोडाउन पालीहाउस (10 x 10 वर्ग फुट) रू० 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रू० 20000.00
4-	मिल्क रूम (10 x 10 वर्ग फुट) रू० 350.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रू० 35000.00
5-	चैफ कटर शेड (10 x 10 वर्ग फुट) रू० 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रू० 20000.00
6-	कैटल क्रस शेड	रू० 20000.00
	योग	रू० 495000.00

क्र०सं०	उपकरण	25 दुधारू पशुओं की यूनिट हेतु
1-	जेट समरसेविल पम्प	रू० 50000.00
2-	पावर चैफ कटर	रू० 100000.00
3-	मिल्क केन्स (40 लीटर के 2 दर रू० 2000 प्रति नग एवं 20 लीटर के 1 दर रू० 1500 प्रति नग	रू० 5500.00
4.	मिल्किंग मशीन-1	रू० 100000.00
5.	मेजरिंग किट-2 एवं मिल्क बकेट-2	रू० 2000.00
6.	कैटिल क्रस	रू० 10000.00
7.	अन्य व्यय	रू० 2500.00
	योग	रू० 270000.00
	इकाई की कुल लागत (A+B+C)	रू० 2699000.00
	लाभार्थी अंश (इकाई लागत का 25 प्रतिशत)	रू० 674750.00
	बैंक लोन (इकाई लागत का 75 प्रतिशत)	रू० 2024250.00
	अर्थात्	रू० 2025000.00

25 पशुओं पर एक दिन के लिए चारे एवं दाने पर होने वाला व्यय:-

क्र० सं०	विवरण	दुग्धकाल		शुष्ककाल	
		कि०ग्रा०	धनराशि रू० मे	कि०ग्रा०	धनराशि रू० मे
1	हरा चारा	500	750	250	375
2	सूखा चारा	125	500	150	600
3	पशु दाना	100	1500	25	375
	कुल	725	2750	425	1350

25 पशुओं पर एक वर्ष में चारा एवं दाना पर होने वाला व्यय:—

क—प्रथम वर्ष में दुग्धकाल 250 दिवस एवं शुष्ककाल 115 दिवस आंकलित है।

ख—द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं पंचम वर्ष में दुग्धकाल 280 दिवस एवं शुष्ककाल 85 दिवस आंकलित है।

(धनराशि ₹0 में)

क0 सं0	विवरण	वर्ष				
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
1	हरा चारा	230625	241875	241875	241875	241875
2	सूखा चारा	194000	191000	191000	191000	191000
3	पशु दाना	418125	451875	451875	451875	451875
योग		842750	884750	884750	884750	884750

25 दुधारू पशुओं से वर्षवार प्राप्त दूध लीटर में एवं दूध विक्रय से प्राप्त धनराशि का विवरण:—

क0 सं0	वर्ष	25 क्रॉस ब्रीड गायों / भैंस का कुल वर्षवार लैक्टेशन दिवस	कुल दुग्ध उत्पादन 12 लीटर प्रति पशु प्रति दिवस की दर से	वर्षवार कुल विक्रय मूल्य (प्रथम वर्ष में ₹0 23 प्रति ली0 तथा आगामी वर्षों में ₹0 1 प्रति ली0 प्रतिवर्ष की वृद्धि दर से धनराशि ₹0 में)
1	प्रथम	6250	75000	1725000
2	द्वितीय	7000	84000	2016000
3	तृतीय	7000	84000	2100000
4	चतुर्थ	7000	84000	2184000
5	पंचम	7000	84000	2268000

प्रोजेक्ट वायबिलिटी

(धनराशि ₹0 में)

क्रमांक	व्यय विवरण	25 दुधारू पशुओं की यूनिट हेतु
1.	पूजीगत व्यय	
1.1	पशु आवास निर्माण व्यय	495000
1.2	आवश्यक उपकरण औजार खरीद	270000
1.3	25 दुधारू पशुओं का क्रय	1750000
1.4	पशु बीमा तीन वर्ष हेतु	84000
1.5	पशु यातायात पर व्यय	100000
	योग	2699000

आवर्ती व्यय वर्ष (धनराशि रू० में)							
2		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	योग
2.1	पशु आहार चारे पर व्यय	842750	884750	884750	884750	884750	4381750
2.2	पशु चिकित्सा पर व्यय	12500	12500	12500	12500	12500	62500
2.3	02 लेबर/दैनिक मजदूरी रू० 150/- की दर से	109500	109500	109500	109500	109500	547500
2.4	डीजल/विद्युत व्यय रू० 1250/- प्रति माह	15000	15000	15000	15000	15000	75000
	योग	979750	1021750	1021750	1021750	1021750	5066750

क्र०सं०	आय विवरण	वर्ष					योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	
1.	उत्पादित दूध बिक्री से आय	1725000	2016000	2100000	2184000	2268000	10293000
2.	खाद की बिक्री से आय (दर रू० 1000.00 प्रति पशु/प्रति वर्ष)	21250	25000	25000	25000	25000	121250
	कुल आय (रू०)	1746250	2041000	2125000	2209000	2293000	10414250
	(-)कुल आवर्ती व्यय (रू०)	979750	1021750	1021750	1021750	1021750	5066750
	शुद्ध लाभ (रू०)	766500	1019250	1103250	1187250	1271250	5347500

पाँच वर्षों में प्रति यूनिट ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु दी जाने वाली अनुदानित धनराशि:-

- 1- 25 दुधारू पशुओं की एक यूनिट स्थापित होने में कुल धनराशि रू० 2699000/- लागत आयेगी। जिसमें लाभार्थी को न्यूनतम 25 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू० 674750/- मार्जिन मनी के रूप में स्वयं वहन करना होगा एवं अधिकतम 75 प्रतिशत धनराशि रू० 2025000/- बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा। यदि लाभार्थी 75 प्रतिशत से अधिक धनराशि का ऋण प्राप्त करता है तो योजना लागत के 75 प्रतिशत पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 2- बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी गयी धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति निम्न विवरण अनुसार अनुदान स्वरूप पांच वर्षों (60 माह) में विभाग द्वारा बैंक को दिया जायेगा। यह धनराशि 25 पशुओं की एक यूनिट पर पांच वर्षों (60 माह) में रू० 729000/- अर्थात् अधिकतम रू० 7.29 लाख होगी। यदि ब्याज दर उक्त से कम है तो देय ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी लेकिन प्रतिपूर्ति किसी भी दशा में अधिकतम दर्शाई गई धनराशि से अधिक नहीं होगी।

25 दुधारू पशुओं की प्रति यूनिट पर पांच वर्षों में ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि रू0 में:—

वर्ष	बैंक लोन	ब्याज (12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से)	किश्त	बैंक को कुल भुगतान	एक यूनिट पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि
प्रथम	2025000	243000	405000	648000	243000
द्वितीय	1620000	194400	405000	599400	194400
तृतीय	1215000	145800	405000	550800	145800
चतुर्थ	810000	97200	405000	502200	97200
पंचम	405000	48600	405000	453600	48600
योग		729000	2025000	2754000	729000

ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक मापदण्ड:—

- योजना का लाभ उन लाभार्थियों को देय होगा जिनका जनपद स्तर पर गठित जिनका चयन समिति द्वारा किया गया है।
- बैंक ऋण प्राप्त करने के लिये लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से संबंधित बैंक को प्रेषित करना होगा।
- ब्याज की प्रतिपूर्ति के दावे का सत्यापन संबंधित बैंक द्वारा किये जाने पर ही प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को बैंक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ऋण की अदायगी नियमित रूप से की जा रही है तथा वह किश्त के बकायेदार नहीं है, संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

योजना का अनुश्रवण:—

उक्त योजनान्तर्गत समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों का दायित्व होगा कि वह पशुपालकों द्वारा क्रय किये जा रहे पशुओं का त्रैमासिक आधार पर निरीक्षण करें एवं सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारियों का निर्देशित करें कि वह मासिक आधार पर पशुओं का निरीक्षण करें तथा औसत दुग्ध उत्पादन, पशुओं के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी, बैंक के ऋण की वापसी की स्थिति एवं अन्य जानकारियां मासिक प्रगति प्रतिवेदन के रूप में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायें एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सम्पूर्ण जनपद की उक्त संकलित सूचना अपर निदेशक ग्रेड-2 को उपलब्ध करायेंगे एवं अपर निदेशक का दायित्व होगा कि वह अपने मण्डल की संकलित सूचना प्रतिमाह 30 तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध करायें। निदेशालय स्तर पर उक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं का संकलित किया जायेगा।

योजना का लाभ:-

- 1- प्रदेश में प्रतिवर्ष 84.00 हजार लीटर प्रति इकाई अतिरिक्त दुग्ध का उत्पादन होगा।
- 2- पशुपालक को पांच वर्षों में प्रति यूनिट रू0 53.47 लाख का लाभ होगा।
- 3- प्रदेश में प्रतिवर्ष उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के 25 नर एवं मादा पशु प्रति इकाई पैदा होंगे।
- 4- प्रदेश के अन्य पशुपालकों को प्रदेश के अन्दर ही उच्च गुणवत्ता के मादा पशु प्राप्त हो सकेंगे।
- 5- ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे।